PROGRAM OF CULTURAL CO-OPERATION
BETWEEN
THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
FOR THE YEARS 2017-2020

The Ministry of Culture of the Republic of India and the Ministry of Culture of the Republic of Armenia, hereinafter referred as the "Parties",

In accordance with the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Armenia on cooperation in the spheres of culture, arts, education, tourism, sports and mass media signed on December 14, 1995.

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties will organize their Cultural Days in each other's country for a period of 5 days on mutually agreed terms during the validity of this Program.

Article 2

The Parties shall annually organize an art exhibition in Armenia and in India accompanied by two experts.

Article 3

The Parties shall encourage the exchange of choreographers and dance specialists.

Article 4

The Parties shall support the cooperation in the field of cinema, especially:

- Exchanging of the film weeks.
- Participation in film festivals held in both countries, with presentation of fiction, documentary, retrospective and children's films.
- The process of shooting in their country by the other country

Article 5

The Parties shall encourage cooperation in the fields of fine and applied arts through the following:

- The exchange of the exhibitions of painting, engraving, sculpture, silversmithing and contemporary fine arts.
- Photo exhibitions reflecting the life of the 2 countries.

Article 6

The Parties shall encourage the development of cooperation in the field of studying and protecting the historical and cultural heritage through:

- The exchange of documentary materials and specialized literature and scientific bulletins.
- Organization of conferences and training courses in the field of protecting monuments and arts and the restoration of historical pieces with cultural values.
- Organization of exhibitions of museum possessions, /the exhibitions shall be accompanied by two (2) professionals.
- Exchanging visits of professionals to exchange experiences in the field of accounting, protection, restoration and exposing of historical and cultural assets.

Article 7

The Parties shall encourage and facilitate their participation in the international cultural festivals and competitions held in both countries.

Article 8

The Parties shall support organizing projects in the field of publishing:

- The exchange of experience in the field of translation and publication of literary works (including children`s literature).
- The Armenian side shall invite the specialists of the sphere of publishing and writers of India to participate in ArmBookExpo exhibition held in Armenia

FINANCIAL PROVISIONS

Article 9

1. In the case of delegations and creative groups:

The sending party will cover the international round trip travel and transportation expenses. The receiving party will cover residence and transportation expenses on its territory, and will ensure the entry permissions as well as the safety and security measures. In case of necessity, the receiving party will provide medical aid.

2. In case of organization of the exchange of museum collections and contemporary art exhibitions the organizational issues shall be specified additionally through diplomatic channels.

Article 10

Additional proposals not included in this Executive Program will be considered and carried out by mutual agreement.

Article 11

The Parties shall exchange information related to the events and data, conditions and dates thereof six months prior to every event, and shall correspond with the organizers of the events, and the Party shall agree to sign mutual agreements if necessary.

Article 12

This Executive Program shall enter into force from the date of its signature, and shall remain in force for a period of three years or till a new Program is signed.

Either Party may terminate this Program by giving written notice to the other Party 6 (six) months in advance. The termination of this Program shall not prejudice the completion of any on-going programs and projects under this Program unless the Parties decide otherwise.

Done in Yerevan on 25 April, 2017, in two original copies each in Armenian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA	**FOR THE MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA**

वर्ष 2017-2020 के लिए
भारत गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय
और
अर्मेनिया गणराज्य के संस्कृति मंत्रालय
के बीच सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम

भारत गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय और अर्मेनिया गणराज्य का संस्कृति मंत्रालय जिन्हें इसके बाद 'पक्ष' कहा गया है;

भारत गणराज्य की सरकार और अर्मेनिया गणराज्य की सरकार के बीच 14 दिसम्बर, 1995 को संस्कृति, कलाओं, शिक्षा, पर्यटन, खेल व जन-संचार माध्यम के क्षेत्रों में सहयोग पर किए गए करार के अनुसार,

निम्नलिखित पर सहमत हैं:

अनुच्छेद - 1

दोनों पक्ष, इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान परस्पर सहमत शर्तों पर 5 दिन की अवधि के लिए एक-दूसरे के देश में अपने 'सांस्कृतिक दिवस' आयोजित करेंगे।

अनुच्छेद - 2

दोनों पक्ष, दो विशेषज्ञों के साथ भारत और अर्मेनिया में वार्षिक आधार पर कला प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

अनुच्छेद - 3

दोनों पक्ष, नृत्य-निर्देशकों और नृत्य विशेषज्ञों का आदान-प्रदान प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद - 4

दोनों पक्ष, सिनेमा के क्षेत्र में, विशेषतः निम्नलिखित हेतु सहयोग को बढ़ावा देंगे:

- फिल्म सप्ताहों का आदान-प्रदान।
- काल्पनिक फिल्मों, वृत्तचित्रों, पूर्वव्यापी और बाल फिल्मों के प्रस्तुतिकरण सहित दोनों देशों में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सवों में भाग लेना।
- अपने देश में दूसरे देश द्वारा फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद - 5

दोनों पक्ष, निम्निलखित के माध्यम से ललित व व्यावहारिक कलाओं के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देंगे :

- चित्रकला, नक्काशी, मूर्तिकला व चांदी निर्माण कार्य और समकालीन ललित कलाओं की प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करना।
- दोनों देशों के जीवन को दर्शाने वाली चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

अनुच्छेद - 6

दोनों पक्ष, निम्नलिखित के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन एवं संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के विकास को बढ़ावा देंगे :

- वृत्तचित्र सामग्रियों तथा विशिष्ट साहित्य और वैज्ञानिक बुलेटिनों का आदान-प्रदान।
- स्मारकों एवं कलाओं के संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्य वाली ऐतिहासिक कृतियों के जीर्णोद्धार के क्षेत्र में सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- संग्रहालय वस्तुओं की प्रदर्शनियों का आयोजन/इन प्रदर्शनियों में दो (2) पेशेवर जाएंगे।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिसम्पत्तियों के लेखांकन, संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा प्रसार के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए पेशेवरों के दौरों का आदान-प्रदान।

अनुच्छेद - 7

दोनों पक्ष, एक-दूसरे के देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों तथा प्रतिस्पर्धाओं में अपनी भागीदारी को बढ़ावा देंगे और उसमें सहायता करेंगे।

अनुच्छेद - 8

दोनों पक्ष, प्रकाशन के निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाएं आयोजित करने में सहायता करेंगे:

- साहित्यिक कृतियों के अनुवाद एवं प्रकाशन (बाल साहित्य सहित) के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान।
- अर्मेनियाई पक्ष, अर्मेनिया में आयोजित आर्म बुक एक्सपो प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारत के प्रकाशन एवं लेखकों के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को आमंत्रित करेगा।

वित्तीय प्रावधान

अनुच्छेद - 9

1. प्रतिनिधिमंडलों और सृजनात्मक समूहों के मामले में :

प्रेषक पक्ष, आने-जाने की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा एवं परिवहन व्यय का वहन करेगा। मेजबान पक्ष, अपने देश के क्षेत्र में आवास एवं परिवहन संबंधी व्यय का वहन करेगा और प्रवेश अनुमति तथा संरक्षण एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा। आवश्यकता पड़ने पर, मेजबान पक्ष चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा।

2. संग्रहालय के संग्रहों तथा समकालीन कला प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान के आयोजन के मामले में, आयोजन संबंधी मुद्दों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अलग से निर्धारित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 10

इस कार्यकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए अतिरिक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसे परस्पर सहमति द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

अनुच्छेद - 11

दोनों पक्ष, प्रत्येक समारोह के आयोजन से 6 माह पूर्व उनसे संबंधित सूचना तथा डाटा, शर्तों एवं तारीखों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान करेंगे और समारोहों के आयोजन के संबंध में पत्र-व्यवहार करेंगे तथा दोनों पक्ष, आवश्यक होने पर, पारस्परिक करार हस्ताक्षरित करने पर सहमत होंगे।

अनुच्छेद - 12

यह कार्यकारी कार्यक्रम, इस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रवृत्त होगा और तीन वर्ष की अवधि या नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर होने तक प्रवृत्त रहेगा।

कोई भी पक्ष, दूसरे पक्ष को 6 (छः) माह पूर्व लिखित सूचना देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर सकता है। इस कार्यक्रम की समाप्ति से इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी जारी कार्यक्रम और परियोजना के समापन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि दोनों पक्ष कोई अन्य निर्णय नहीं ले लेते हैं।

इस कार्यक्रम पर 25 अप्रैल, 2017 को येरेवान में हिंदी, अर्मेनियाई तथा अंग्रेजी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षर किए गए। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में विभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य के	**अर्मेनिया गणराज्य के**
संस्कृति मंत्रालय की ओर से	**संस्कृति मंत्रालय की ओर से**